प्रेस विज्ञप्ति

22.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने उन मर्चेंट आईडी के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 20.03.2024 को बेंगलुरु और पुणे स्थित पैसा जमा करने वालों (पेमेंट एग्रीगेटर्स) के 06 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया जिनका प्रयोग दानी डेटा ऐप के नियंत्रकों द्वारा आम जनता से दानी डेटा ऐप के माध्यम से भुगतान कराने के लिए किया गया था। तलाशी अभियान के दौरान पीएमएलए, 2002 के तहत कुल16.43 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए।

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, पालनपुर, जिला-बनासकांठा, गुजरात द्वारा "दानी डेटा" नामक वेब आधारित एप्लिकेशन के नियंत्रकों और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि वेब आधारित मोबाइल एप्लिकेशन दानी डेटा के नियंत्रकों ने जनता द्वारा किए गए निवेश के लिए प्रति गेम 0.75% के न्यूनतम रिटर्न की दर से गारंटी के साथ रिटर्न की पेशकश कर के शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों को उनके साथ निवेश करने के लिए आकर्षित किया। इस तरह से हजारों लोगों को बहला-फुसलाकर ऐप के माध्यम से डिपॉज़िट करवाया गया और ऐप के माध्यम से काफी रकम जमा होने के बाद आरोपियों ने एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया। गुजरात पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र से पता चला है कि एक चीनी नागरिक सहित आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर षड़यंत्र रचा और इस तरह की धोखाधड़ी की और बेईमानी से हजारों निवेशकों को उक्त ऐप के माध्यम से करोड़ों रुपये जमा करने के लिए प्रेरित किया।

इस मामले में दिनांकः 01.11.2023 को ईडी ने दिल्ली और गुजरात में अलग-अलग जगहों पर 14 परिसरों में तलाशी ली है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।